बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाईट : https://bsea.bihar.gov.in

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि० -1-14/2024 2132 /पटना, दिनांक 27-11-24

प्रेषक,

पुरूषोत्तम पासवान, भा०प्र०से०

सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)

विषय : **सहकारी समितियों के निर्वाचन में मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका के अध्याय-15 में निर्देश है कि प्रत्येक अभ्यर्थी अपने चुनाव कार्य के लिए अधिकतम दो निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकता है, जो उसके मतदान तथा मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में भी कार्य करेगा।

इस संदर्भ में कई जिलों से पृच्छा की जा रही है कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कितने मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति की जा सकती है ? इस संबंध में स्पष्ट करना है कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति की जा सकती है, जिसमें से एक मतदान अभिकर्त्ता मतदान केन्द्र के अंदर रहेंगे और दूसरे मतदान अभिकर्त्ता रिजर्व में रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका के अध्याय- 15 में दिये गये निर्देश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

(पुरूषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक: 2132 /पटना, दिनांक 27-11-24

प्रतिलिपि: सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

BSEA.dt_26.11.2024_Rajesh